भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1723
2 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय : मूंग, मूंगफली, चना और सरसों की खरीद
1723. श्री हनुमान बैनिवालः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, मूंगफली, चना, सरसों इत्यादि की खरीद हेतु निर्धारित मापदण्डों और नियमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सत्य है कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद सीमा निर्धारित की है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा संबंधित राज्यों को निर्दिष्ट शक्तियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से मूल्य समर्थन प्रणाली (पीएसएस) के निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मूंग, मूंगफली, चना, सरसों आदि अधिसूचित दलहनों और उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के तिलहनों की खरीद की जाती है।

(ख) और (ग): पीएसएस के तहत कोई खरीद सीमा तय नहीं की गई है। केंद्र सरकार उस विशेष मौसम के लिए जिंस के वास्तविक उत्पादन का 25% खरीदती है और उस जिंस की इससे अधिक की खरीद राज्य सरकार अपने स्तर पर कर सकती है।